2023/170

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी खेतपाल पुत्र श्री हजारीराम निवासी चक 14 एसपीएम, गोधूवाली ढाणी, तहसील सादुलशहर, जिला– श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने पर दर्ज एफआईआर की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती रूकमा देवी पत्नी श्री हजारीराम निवासी चक 14 एसपीएम, गोधूवाली ढाणी, तहसील सादुलशहर, जिला– श्रीगंगानगर ने दिनांक 14.03.2019 को बंद वसीसत कस्टडी मे रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 03.05.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 14.03.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान मांगीलाल पुत्र श्री मनीराम और मनफूलराम पुत्र श्री अर्जुनराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय